न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 555/2015
दायर दिनांक : 24/11/2015
निर्णय दिनांक : 04/11/2025

उनवान

1 जीतर पिता परथु गाडरी निवासी कानाखेड़ा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार, भूपालसागर

प्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136, 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136, 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि पटवार हल्का कानाखेडा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हाल आ0न0 962 रकबा 0.74 है0 व आ0न0 965 रकबा 2.01 है0 के साबिक पैमाईष आ0न0 558 बटा 1 रकबा 5 बीघा थे जो मुझ वादी को राज्य सरकार से दिनांक 24.03.83 को आवंटन हुई व जिसके रेकार्ड में वादी के नाम अंकित थी तथा इस पर वादी का ही कब्जा होकर वादी राजस्व अदा करता है। हाल ही में मौजे का सेटलमेंट हुआ जिससे सेटलमेंट कर्मचारियों ने उपरोक्त वादी के कब्जे काष्त की आराजी को राज्य सरकार के नाम रेवेन्यू रेकार्ड में गलत रूप से अंकित कर दिया। जिससे उक्त गलत इंद्राज दुरूस्त करा पुनः वादी के नाम अंकित कराया जाना आवष्यक है। वादी ने प्रतिवादी को उक्त इंद्राज दुरूस्त कराने हेतु दिनांक 05.02.2007 को कहा तो वो तैयार नही है अतः वाद हेतु बिनाय दावा दिनांक 05.02.2007 से पैदा होती है। व उसके बाद हर रोज पैदा हो रही है। अतः वादी के हक में प्रतिवादी के विरूद्ध इंद्राज दुरूस्त कराए जाने की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कॉलम नंबर एक में वर्णित आराजी का वर्तमान रेवेन्यू रेकार्ड दुरूस्त करा प्रतिवादी का नाम हटा वादी के नाम अंकित की जावे व आ0न0 962 रकबा 0.74 है0 व आ0न0 965 रकबा 2.01 है0 में से पुराने आ0न0 558 बटा 1 रकबा 5 बिघा का जो बने उस वादी के नाम दर्ज कराई जावें व प्रतिवादी का नाम हटाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामील पैरोकार सरकार उपस्थित आऐ। पैरोकार सरकार ने जवाब दिनांक 19.08.2008 को प्रस्तुत किया, अपने जवाब में अंकित किया कि मौका कानाखेड़ा की आ.सं. 558/1 रकबा 5 बीघा भूमिज जरिये ना.सं. 223 से दिनांक 31.12.83 को आवंटन दिनांक 24.03.83 की पालना में वादी के नाम अंकन करने की स्वीकृति हुई किन्तु उक्त नामान्तरण का जमाबंदी में अंकन किया जाने संबंधितं दस्तावेज वादी द्वारा वादपत्र में अंकित नहीं किया है। जमाबंदी में स्वीकृत नामान्तरण के पश्चात नहीं हुआ है। [illegible] 223 के [illegible] कोई दस्तावेज वादी द्वारा पेष नहीं किया है। दस्तावेज के अभाव में वादी का कब्जा [illegible] है। भूप्रबंध से पूर्व आवंटन हुआ जिसका अमल के अभाव में हाल में [illegible] किया हो [illegible] वादी स्वयं सिद्ध करे कि उसका आवंटन से आज दिनांक तक नियमित कब्जा रहा है। [illegible] की पालना के अभाव में आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.14 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

निरस्त भी हो सकता है। दिनांक 05.02.2007 को प्रतिवादी की कथन दस्तावेज या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया होता तो प्रार्थी का कथन स्वीकार किया जाता ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का कथन अस्वीकार है। गत भू प्रबंध की आ.सं. 558/1 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई है जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आ.सं. 962 रकबा0.74 व आ.सं. 965 रकबा 2.01 है. अंकित किया है जिसके अनुसार वादी ने नक्शा ट्रेस भी अंकित नहीं किया है। दस्तावेज साक्ष्य नक्शा, कब्जे के दस्तावेज के अभाव में वादी का वाद खारिज योग्य है।

वकील वादी ने साक्ष्य वादी में शपथ पत्र जीतर पिता परथ गाडरी निवासी कानाखेड़ा, रोशनलाल पिता प्रताप हरिजन निवासी कानाखेड़ा व चतरू पिता प्रताप गाडरी निवासी कानाखेड़ा के प्रस्तुत किये। जिरह दिनांक 18.05.2010 को बंद की गई। वकील वादी ने जमाबंदी सम्वत 2063–66 प्रदर्श 1, खसरा गिरदावरी सम्वत 2045–48 प्रदर्श 2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 पत्रावली पर प्रदर्श कराये। तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई :

1. आया वादी को मौजा कानरखेड़ा में सेटलमेंट पूर्व पुराना आ.सं. 558/1 की 5 बीघा भूमि आवंटन हुई और यह वादी के नाम दर्ज हुई ?

   जिम्मे वादी
2. आया वाद साबिक आ.सं. 558/1 को पैमाईश के दौरान हाल आ.सं. 962 व 965 कुल रकबा 2.75 है. में मिलाते हुऐ वादी का अंकन हटा दिया जिसके लिऐ वादी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है ?

   जिम्मे वादी
3. वादी आ.सं. 962 व 965 नया के किस 5 बीघा भाग पर आवंटन होने से काबिज है ?

   वादी
4. आया किसी सक्षम आदेश द्वारा वादी का कभी आवंटन निरस्त हुआ अथवा वादी के नाम का रिकार्ड से विलोपन हुआ एवं आया साबिक आ.सं. 558/1 के बजाय वादी के नाम पर अन्य कोई भूमि विद्यमान है ?

   जिम्मे प्रतिवादी
5. अनुतोष

वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार तनकी सं. 1 का साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से तनकी सं. 1 वादी के पक्ष में नहीं पाई जाती है। तनकी सं. 2 में वर्णित आराजियात का दस्तावेजी साक्ष्य से मिलान नहीं होने से वादी के पक्ष में नहीं पाई गई, जवाब पैरोकार सरकार अनुसार काबिज भूमि का नक्शा ट्रेस नहीं होने से वादी के पक्ष में तनकी सं. 3 साबित नहीं करा पाये हैं। जवाब पैरोकार सरकार अनुसार तनकी सं. 4 प्रतिवादी के पक्ष में पाई जाने से स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात वादी तनकी संख्या 1, 2, व 3 को साबित नहीं करा पाने से वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाने से अस्वीकार किया जाता है। वाद वादी अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.14 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर